

कार्यालय नगरपालिका सलूमबर जिला उदयपुर (राज.)

दिनांक : 27/12/2018

स्वीकृति पत्र

केवल 1 वर्ष के लिए मान्य राज. म्यु. एक्ट 2009 कर धारा 194 के अर्न्तगत

श्री भवरलाल पिता चम्पालाल, श्री जिगर पिता शिशुपाल मेहता, श्रीमति ललिता पत्नी प्रदीप जैन, श्री रणजीत पिता चतरलाल बढाला, श्री विजय कुमार पिता चतरलाल बढाला, श्रीमति लिना पत्नी अमित कुमार जैन करगेटा पेराफेरी क्षेत्र सलूमबर।

विषय :- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होकर बाद कार्यवाही कार्यालय आदेश दिनांक 24.12.2018 के द्वारा निम्नांकित कार्य स्वीकृति संलग्न नक्शे अनुसार दी जाती है।

उपरोक्त विषय में आप द्वारा प्रस्तुत प्लान स्वयं की मिल्कियत एवं आबादी भुमि की होने की सुरत में निम्न शरायतो के साथ स्वीकृति दी जाती है। शरायतो की अवहेलना करने पर स्वीकृति प्रभावहीन होगी। मिल्कियत व किस्म में दोष होने पर प्रार्थी उत्तदायी होगा।
तामीर पत्रावली संख्या 98 वर्ष 2018-19

स्थल

पूर्व :- रास्ता 30 फिट चौड़ा।

पश्चिम :- रास्ता 60 व 30 फिट चौड़ा।

उत्तर :- अन्य की भूमि।

दक्षिण :- रास्ता 40 फिट चौड़ा।

निर्माण की राशि 565922/- अक्षरे :- पांच लाख पैसठ हजार नो सौ बाईस रु.
र. नं. 5034 चैक नम्बर 017030 दिनांक 27.12.2018

निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ मकान निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

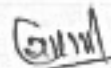
01. निर्माण कार्य पालिका द्वारा स्वीकृत भवन निर्माण/पट्टा/अनुज्ञा पत्र उप नियमों के अनुसार एवं स्वयं के वैधानिक अधिकारों की भुमि पर ही किया जावेगा।
02. नियमानुसार सैट बैक हेतु भुमि खुली प्लाट में छोड़ना अनिवार्य होगा। सैट बैक के लिए छुड़ाई भुमि में किया गया निर्माण बिना पूर्व सुचना के हटवा दिया जाएगा। प्रमाणित नक्शे अनुसार छोड़ना होगा।
03. पत्थर लेट्रिंग का टैंक व पानी का टैंक अपने स्वयं के स्वामित्व की भुमि में ही बनाना होगा।
04. छत का बरसाती पानी सिमेन्ट पाईप लगाकर जमीन तक उतारना अनिवार्य होगा।
05. यह स्वीकृति Subject to civil Right होगी।
06. तामीर स्वीकृति की मयाद कार्यालय आदेश स्वीकृति के 1 वर्ष तक मान्य होगी।
07. मानचित्र में जो भाग काट दिया गया है। उस पर निर्माण नहीं करेंगे।
08. आम रास्ते/गली/चौक में भवन बाहर सिढी चबूतरा पालिका भुमि पर कतई नहीं बनायेगें।
09. पालिका की बगैर स्वीकृति के भवन में आम मार्ग तरफ कोई रोश/अतिछाजन नहीं रखेंगे।
10. पालिका से स्वीकृति की गई रोश/अतिछाजन, जमीन तल से कम से कम 12 फिट उपर निर्मित करेंगे।
11. आस-पास के भवनों का सरवेला अनिवार्यतः मेन्टेन करना होगा तथा रोश भी सरवेला अनुसार ही बनानी होगी। चाहे रोश की स्वीकृत अधिक ही क्यों न हो।
12. पंडोसियों के हक हकूक में तामीर नहीं करेंगे व नहीं उनके वैधानिक हक हकूको को बन्द करेंगे।
13. नींव टैंक खुदाई में ब्लास्टिंग नहीं करेंगे।

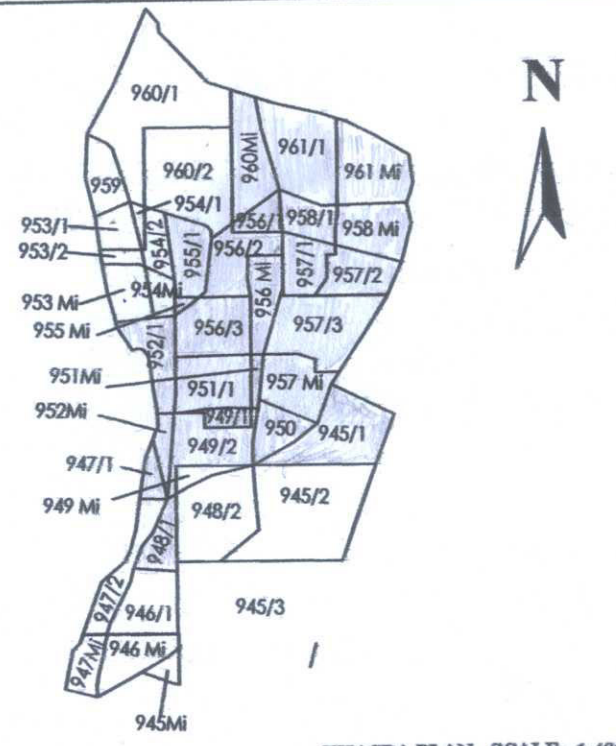
14. गन्दे पानी की नाली को अवरुद्ध नहीं करेंगे नहीं तोड़ेंगे।
 15. व्यस्त आबादी वाले क्षेत्रों में मलबा/पत्थर तत्काल साथ उठाना अनिवार्य होगा। ताकि आम मार्ग अवरुद्ध न होवे।
 16. छत से बरसाती पानी का भण्डारण करने हेतु एक टैंक बनाया जावे व पानी का भंडारण किया जावे।
 17. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की सूचना तथा कार्य समाप्ति की सूचना पालिका में देवे व नक्शे से निर्माण का मिलान करा कर तस्दीक करावें।
 18. बोर्ड के भवन निरीक्षक से (ले आउट) निशादेही लेकर कार्य करें।
 19. आपत्तिजनक होने पर स्वीकृति निरस्त अथवा संशोधित करने का अधिकारी अधिशाषी अधिकारी/अध्यक्ष को होगा। हर्ज खर्च का दायित्व पालिका का नहीं होगा। नगरपालिका तथा रेवेन्यू और टाउन/प्लानिंग नियमों और आदेशों का पालन करने के लिए आवेदक पाबन्द रहेगा।
 20. 01 स्वीकृति को टाइटल नहीं माना जावे।
02 डाक पत्र हेतु पेटिका का निर्माण अवश्य करे।
03 स्वीकृत नक्शे अनुसार निर्माण कार्य करें।
04 भुखण्ड में कम से कम दो पेड लगावे।
 21. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1956 की धारा 170 के तहत यह निर्माण स्वीकृति पदत्त की गई है।
 22. पुराने मकानों की जगह नवीन निर्माण करते समय इस बात का पुरा ध्यान रखेंगे कि पुराने मकानों को गिराने से पड़ोसी भवन के हक हकुक प्रभावित न हो तथा पड़ोसी के स्वामित्व की भूमि/भवन में अनाधिकार अतिक्रमण तो न हो रहा है साथ ही पुराने मकान को ध्वस्त करने से पड़ोसी भवनों को व आम जन को कोई आपत्ति या परेशानी तो नहीं हो रही है। तथा इसके मलबे से आम रास्ता व नाली तो बाधित नहीं हो रही है। अतः इन सबका ध्यान रखकर ही निर्माण कार्य करे।
 23. आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि/भवन में व्यावसायिक प्रयोजनार्थ निर्माण नहीं करें तथा नहीं आवासीय प्रयोग के भूमि/भवन में व्यावसायिक उपयोग में ले इसका विशेष ध्यान रखें।
 24. टेलीफोन या बिजली विभाग की लाईन प्लॉट या निर्माणाधीन मकान के ऊपर से जा रही हो तो लाईन हटाने के बाद ही निर्माण कार्य करें। उसके नीचे निर्माण कार्य नहीं करे। व रोड पर सामने से लाईन जा रही हो तो रोश व खिडकी की पर्याप्त दूरी रखें।
- निम्न परिस्थितियों में स्वीकृति स्वतः ही रद्द मानी जायेगी :-
01. यदि राजकीय नगरपालिका भूमि, रास्ते की भूमि सम्मिलित कर नक्शा बनाया हो।
 02. यदि कृषि भूमि होगी।
 03. कोई खालसा भूमि होगी।
 04. यदि इस भुखण्ड के संबंध में कोई जांच चल रही होगी।
 05. यदि भुखण्ड/मकान का मामला न्यायालय में विचारधीन हो अथवा किसी न्यायालय में स्थगन आदेश जारी किया हो।
 06. प्रार्थी के वैधानिक अधिकारों की भूमि/मकान नहीं होकर किसी अन्य का होगा।
 07. आवासीय भुखण्ड पर व्यावसायिक निर्माण बिना नियमानुसार शुल्क जमा करा ही किया गया हो।
 08. यदि गलत तथ्य प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त की हो तो।

नोट :- प्रस्तुत प्लान अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

स्वीकृति पत्र में वर्णित शर्तों तथा स्वीकृति रद्द होने के कारणों को मैने भली भांति पढ़कर समझ लिया है। मैं शर्तों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

अंगूठा/हस्ताक्षर/प्रार्थी/प्रार्थीयां


 अधिशाषी अधिकारी
 नगर पालिका, सलुम्बर



KHASRA PLAN SCALE: 1:4000

TOTAL AREA =	1.9465 HECT.(209443.40 sq.ft.)
L.I.G. AREA =	66880.00 SQ.FT. 31.00%
E.W.S. AREA =	44376.00 SQ.FT. 21.18%
FACILITY AREA =	10531.25 SQ.FT. 5.02%
PARK AREA =	10540.00 SQ.FT. 5.03%
ROAD AREA =	77816.15 SQ.FT. 37.17%

CHIEF MINISTER JAN AAVAS YOJNA
PROPOSED LAY-OUT PLAN FOR CHIEF MINISTER JAN AAVAS YOJNA (RESIDENTIAL) IN KH. No. 945, 947, 948, 949, 950, 951 MI., 952, 953, 954, 955 MI., 956, 957, 958 MI., 959, 960 MI., 961 MI., REV. VILL.- KARGETA, TEH.- SALUMBER, DISTT.- UDAIPUR (RAJ.)

SCALE :- 1" = 50 FT.

PALAK CONSULTANCY
Architectural Consultant & Planner, Surveyor
238-239, Connaught Palace
Shobhagpura Circle, Shobhagpura
UDAIPUR (RAJ.)
Ph. 9414683072, 9982378633

- AREA ANALYSIS:- (1.9465 HECT.)
1. TOTAL AREA - 209443.40 SQ.FT. 100%.
 2. PLOT AREA - 109574 SQ.FT. 52.31% (80-167 PLOT NO.)
 3. PARK AREA - 10540 SQ.FT. 5.03%
 4. RESERVED FOR FACILITY AREA - 10531.25 SQ.FT. 5.02%
 5. ROAD AREA - 77816.15 SQ.FT. 37.17% (01 PLOT NO.)
 6. INFORMAL SECTOR SHOPS - 982 SQ.FT. 0.47% (01 PLOT NO.)
- NOTE - सुखमंजी जन आवास योजना के MODEL NO. 3B के अनुसार नियमानुसार कामवाही की जावे।
- NOTE - आगे दिनांक शरीफ नगर सन्वर्धन पत्रवारी द्वारा सोमोहन एवं समोहन कला पश्चात ही पट्टा विवरण जारी किया जावे।

"ABCDEFGHIJKLMN" DRN BY
N APPROVED WITH MODIFICATIONS SHOWN IN BLACK AS PER THE CONDITIONS LAID IN THIS OFFICE LETTER NO UDR/1628/SUBR/DTD.

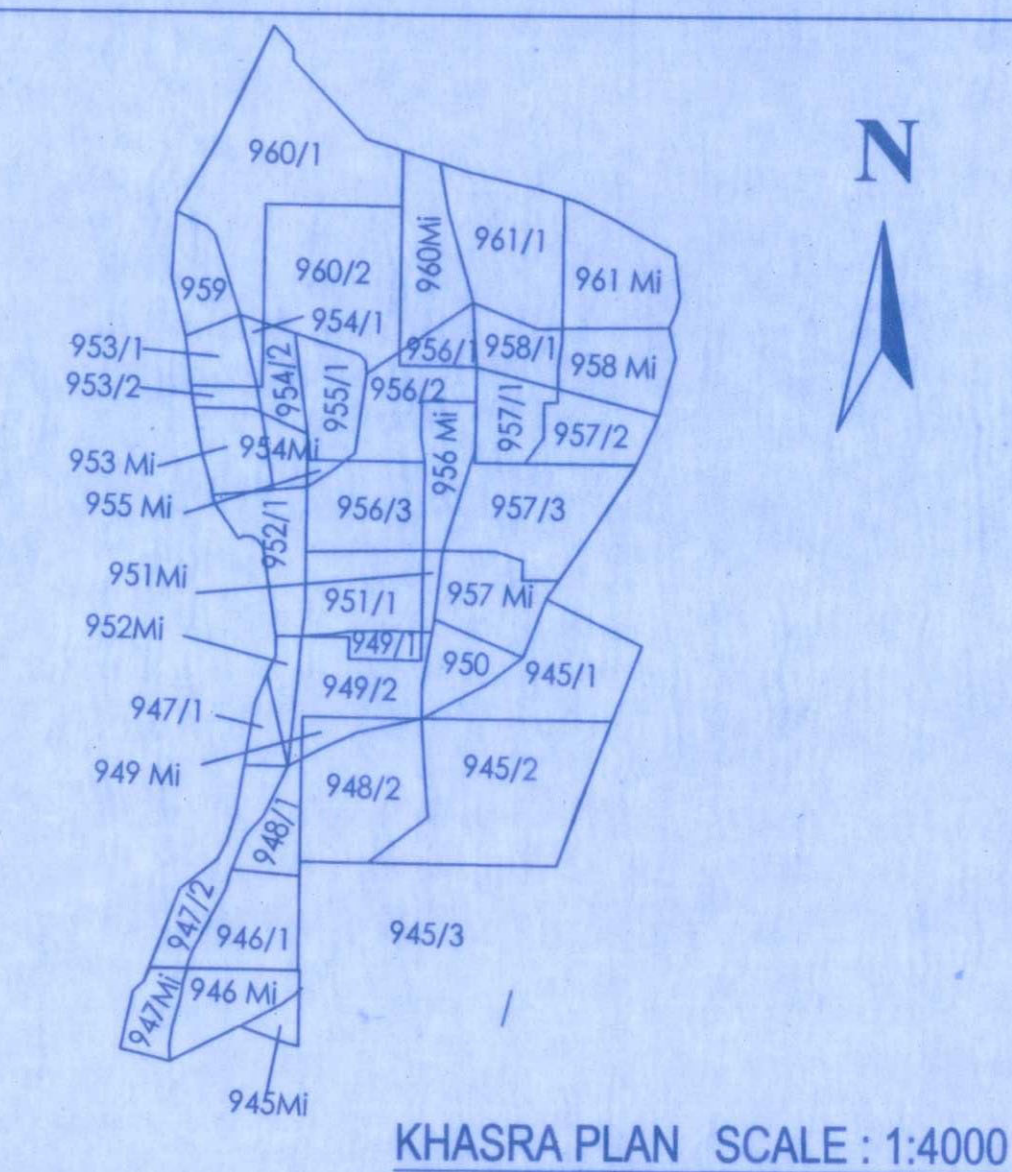
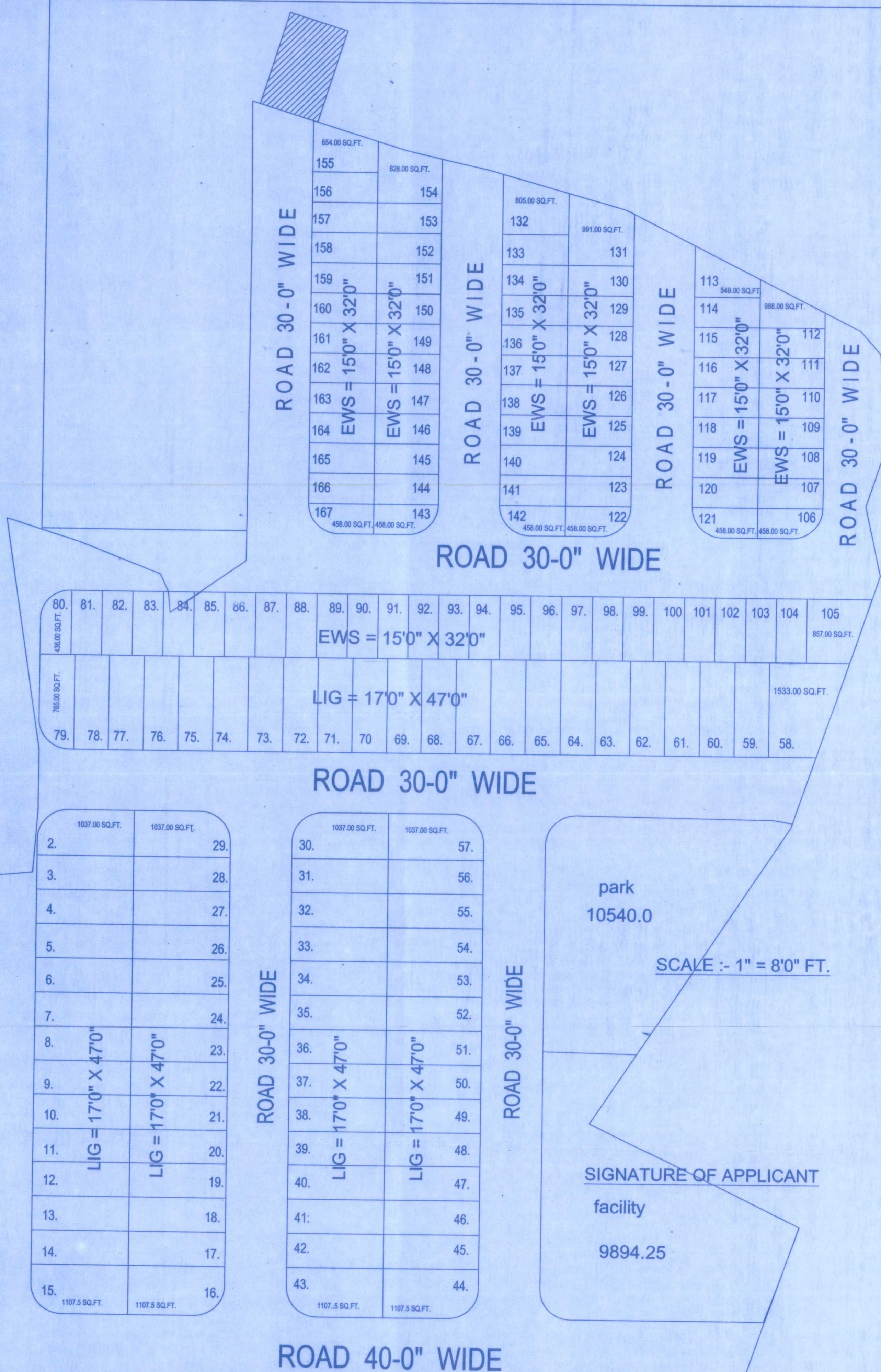
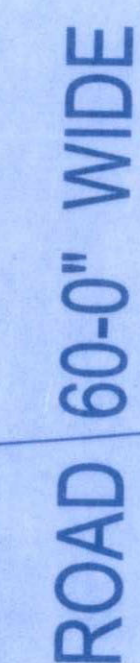
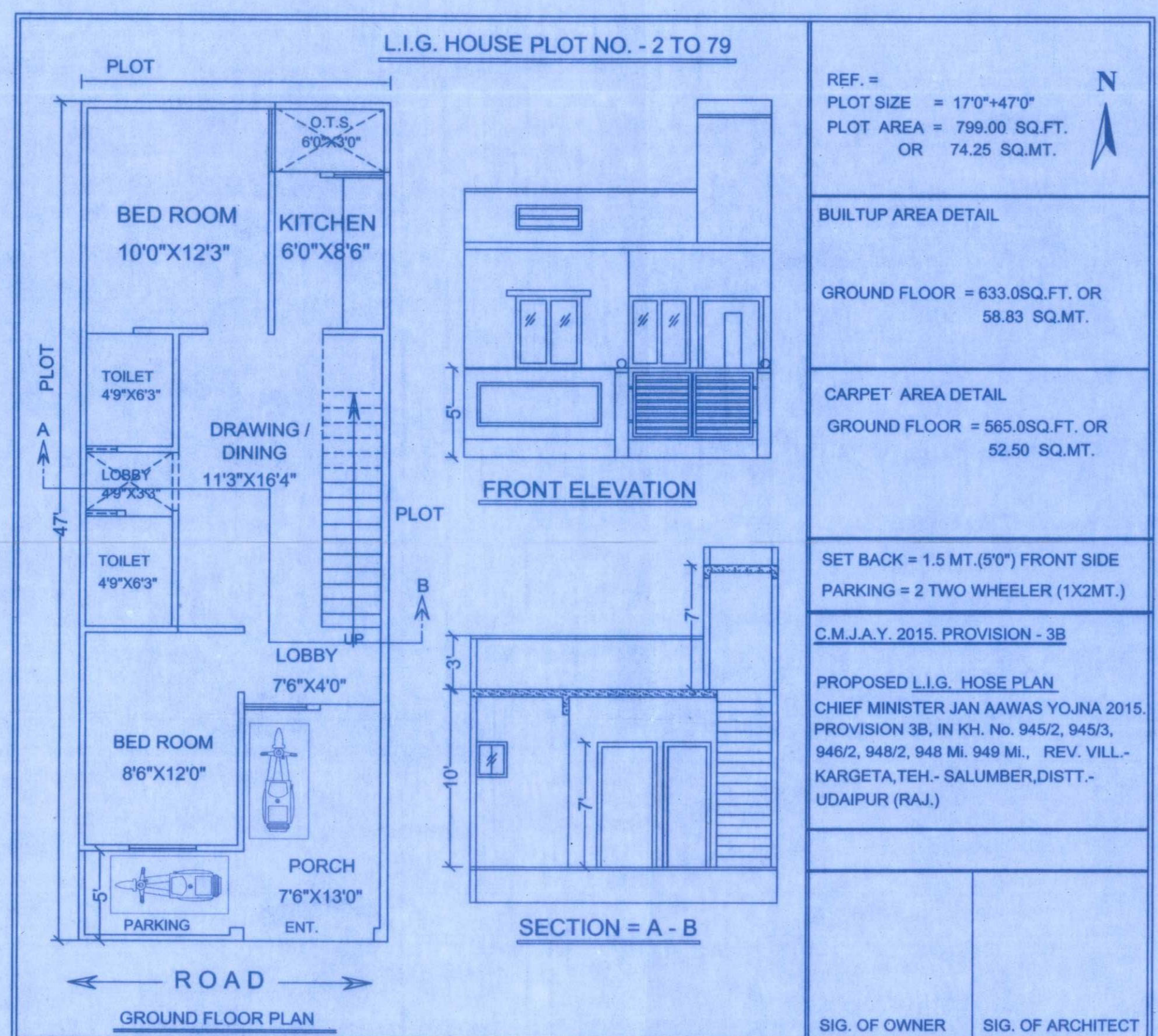
A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.N. माफे वाली समीची मे दस्तावेज गता मुख्यमंत्री जन आवास योजना हेतु आवासीय प्लान को 25/10/2018 को अनुमानित किमती पर 10540 क.मी. की अधिकतम पट्टा हेतु अन्य सुविधाओं के 10531.25 क.मी. की अधिकतम पट्टा की गई है।
श. नं. 10540 क.मी. की अधिकतम पट्टा की गई है।
श. नं. 10531.25 क.मी. की अधिकतम पट्टा की गई है।
श. नं. 10540 क.मी. की अधिकतम पट्टा की गई है।
श. नं. 10531.25 क.मी. की अधिकतम पट्टा की गई है।

राजेश्वरी शर्मा
अध्यक्ष
नगर पालिका, सलुंबर

अधिसूचना अधिकारी
नगर पालिका, सलुंबर

Handwritten signatures and official stamps of the project team and local authorities.

SIGNATURE OF APPLICANT



TOTAL AREA =	1.9465 HECT.(209443.40 sq.ft.)
TOTAL PLOT AREA =	109574.00 SQ.FT. 52.38 %
L.I.G. AREA =	65198.0 SQ.FT. 31.13 %
E.W.S. AREA =	44376.0 SQ.FT. 21.18 %
FACILITY AREA =	10531.0 SQ.FT. 5.02 %
PARK AREA =	10540.0 SQ.FT. 5.03 %
ROAD AREA =	77816.15 SQ.FT. 37.17 %
SHOP AREA =	982.0 SQ.FT. 0.47 %

CHIEF MINISTER JAN AAVAS YOJNA

PROPOSED LAY-OUT PLAN FOR CHIEF
MINISTER JAN AAVAS YOJNA (RESIDENTIAL)
IN KH. No. $\frac{945}{1}, \frac{947}{1}, \frac{948}{1}, \frac{949}{2}, \frac{949}{2}, 950, 951 \text{ MI.}, \frac{951}{1}, 952$
MI., $\frac{952}{1}, 955 \text{ MI.}, \frac{955}{1}, 956 \text{ M}$
I., $\frac{956}{1}, \frac{956}{2}, \frac{956}{3}, 957 \text{ MI.}, \frac{957}{1}, \frac{957}{2}, \frac{957}{3}, 958$
MI., $\frac{958}{1}, 960 \text{ MI.}, 961 \text{ M I.}, 961 \text{ MI.}, \text{REV. VILL.}-$
KARGETA, TEH.- SALUMBER, DISTT.- UDAIPUR
(RAJ.)

SCALE :- 1" = 8'0" FT.

SIGNATURE OF APPLICANT

facility

9894.25

DRN BY

SCALE : 1" = 32'0"

प्रस्तावित कार्य अनुसार आवाजें २०००
- निर्माण की जाती प्रस्तावित कार्यें
Date 25.12.18
अधिसूची अधिकारी
नगर पालिका, सलुम्बर